ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 407-409

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

बापू द्वारा राष्ट्र की सेवा में स्थापित दक्षिण के सौ वर्ष पुरानी संस्था

प्रदीप के0 शर्मा

पी–एच0डी0,डी0लिट् कुलसचिव उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास (तमिलनाडु), भारत

Received- 25.07.2020, Revised- 28.07.2020, Accepted - 29.07.2020 E-mail: - rksharpur2@gmail.com

सारांश : ***संसार में हिन्दी ही ऐसी भाषा है, जिसका अंकुर अहिन्दी भाषियों ने लगाया और उसे विशाल वट वृक्ष की निरापद छाया का रूप भी इन्ही अहिन्दी भाषियों ने प्रदान किया । सर्वप्रथम हिन्दी का नामकरण हिन्दी खड़ी बोली के आदिकवि अमीर खुसरों ने 'हिंदवी' नाम का प्रयोग किया जो अपभ्रंश होकर 'हिन्दी' जन सामान्य में कहलाने लगी ।***

कुंजीभूत शब्द– संसार, भाषा, विशाल, निरापद, सर्वप्रथम, नामकरण, आदिकवि, प्रयोग, अपभ्रंश , सामान्य ।

हिन्दी का सर्वप्रथम शोध कार्य इटली के युवा श्री लुइजिपियों तैरमीतोरी (फरिस विश्वविद्यालय) जिन्हें अंग्रेजी में डॉ.एल.पी.टैस्सीटोरी से संबोधित किया जाता है, इतालवी भाषा में सन् 1911 में शोध कार्य का शुभारंभ किया गया था।

हिन्दी आज समग्र राष्ट्र की संपर्क भाषा है। यह राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा आदि विविध रूपों में सार्वदेशिकता का स्वरूप ग्रहणकर समस्त भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में अग्रसर हैं। ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रदेश अथवा वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष की भाषा मानना उसके राष्ट्रीय स्वरूप की अवहेलना करना ही है । भाषा संस्कृति के धरोहर है।

सांस्कृतिक भाषा के दो अर्थ हो सकते हैं – 1. संस्कार की गई भाषा अर्थात् परिष्कृत भाषा और 2. संस्कृति – विशेष के व्यापक तत्वों को समाहित करने वाली भाषा। विगत सौ वर्षों में, मुख्यतः स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी भाषा एकाधिक दृष्टियों से लोकप्रिय हुई है। राष्ट्रभाषा के रूप में तो इसके विकास से सभी परिचित हैं, किन्तु विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के कारण आजकल राजभाषा हिन्दी, कामकाजी हिन्दी, तकनीकी हिन्दी जैसे अनेक शब्द चल पड़े हैं, जो उसके निरंतर विकासमान स्वरूप के परिचायक हैं। हिन्दी के सभी रूप उसके मानक रूप के आधार पर निर्मित हुए हैं, जिनसे भाषा की आंतरिक संरचना भी प्रभावित हुई हैं।

भारतीय संस्कृति के एकाधिक तत्वों को आत्मसात् करने की प्रवृत्ति हिन्दी में प्राचीन काल से ही लक्षित रही है। इसी गुण के कारण मध्ययुगीन साधु – संतों ने उसे सार्वदेशिक रूप प्रदान किया था। उस समय ब्रजभाषा ही भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनी थी। आधुनिक काल में खडीबोली की प्रतिष्ठा होने पर इसने भी सार्वजनिक होने का प्रयास किया और यह अखिल भारतीय राजकाज की भाषा बन गई। इस समय यह नागर संस्कृति के साथ–साथ लोक– संस्कृति को भी उजागर करती है।

सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिन्दी की हम दो रूपों को देखते हैं – 1. इतिहास की दृष्टि से और 2. साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि से।

इतिहास की दृष्टि से हिन्दी के वर्तमान स्वरूप को भारतेंदु काल से मानना ही समीचीन होगा, क्योंकि उसके पूर्व हिन्दी गद्य का विकास हो जाने पर भी लेखकों की सांस्कृतिक चेतना उद्‌बुद्ध नहीं हुई थी। जब भारतेंदु ने सन् 1873 में लिखा कि हिन्दी नई चाल में ढली तो उसका तात्पर्य हिन्दी की ऐसी सर्वांगीण उन्नति से था, जिसके उदाहरण "हरिश्चंद्र मैगजीन" तथा भारतेंदु ग्रंथावली में मिलते है।

दूसरी ओर भारतेन्दु मण्डल के लेखकों ने इसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर साहित्य रचना करते हुए हिन्दी भाषा में अपने विचार प्रकट किए थे। प्रताप नारायण मिश्र ने "निज देश" तथा 'निजभाषा' के लिए तन–मन–धन न्यौछावर करने की कामना की थी । 'प्रेमधन' ने उर्दू की व्युत्पत्ति देते हुए नागरी हिन्दी की प्रशंसा की थी और कचहरी आदि कार्यों के लिए हिन्दी को योग्य ठहराया था। ये लेखक चूंकि जन–साधारण को उनकी वास्तविक दशा से परिचित कराना चाहते थे, अतः इसके लिए सरल भाषा ही उपयुक्त हो सकती थी। इस स्थिति ने हिन्दी को सांस्कृतिक भाषा बनने की दिशा में उन्मुख किया।

भाषा राष्ट्रीय चेतना का अनिवार्य अंग होती है, वह मनुष्य के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि देश के संगठित रूप का भी बोध कराती है। भारत जैसे बहुजातीय, बहुवर्गीय देश में जिसे रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'महामानव समुद्र' कहा है, एकमात्र हिन्दी ही एकता का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

प्रतीक हो सकती है इसे तत्कालीन लेखक समझ गए थे।

देश को आजादी दिलाने के लिए पूरे देशवासियों को एकत्रित करके आंदोलन चलाने हेतु कांग्रेस महासभा की स्थापना हुई थी, जहाँ देश के विभिन्न प्रदेशों के महान नेता सदस्य थे। इस महासभा के वार्षिक सम्मेलन अंग्रेजी माध्यम से होता था। धीरे – धीरे सदस्यों ने महसूस किया कि देश कि स्वतंत्रता के लिए संग्राम करनेवाली संस्था के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। एक ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो देशी हो, आम जनता भी जिसे समझती हो, भाग ले सके और अपनी अभिव्यक्तियों को प्रकट कर सकें।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे आर्यसमाजी धार्मिक नेता और राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने विचार व्यक्त किया कि अखिल भारतीय स्तर पर व्यवहार माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाना चाहिए। काशी स्थित नागरी प्रचारिणी सभा एवं प्रयाग की संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्रमशः नागरी लिपि–प्रचार और हिन्दी साहित्य के विकास के कार्य में लगे थे। इस समय महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के अनुभव के आधार पर घोषित किया कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा यानी सामान्य भाषा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश लोग हिन्दी समझते हैं और बोलते हैं। कम लोग ही हिन्दी से अपरिचित हैं, विशेषकर दक्षिण के चारों प्रदेश के भाषा–भाषी लोग। यदि दक्षिण के लोग भी हिन्दी सीख लेंगे तो हिन्दी का देश की राष्ट्रभाषा (सामान्य भाषा) बनने में कठिनाई नहीं होगी । इस उदेश्य से उन्होने दक्षिण में हिन्दी प्रचार का कार्य प्रारंभ कराया। इस कार्य को पिछले 100 सालों से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, सुचारु रूप से संचालित कर रही है।

दक्षिण में हिन्दी प्रचार का उद्देश्य प्रथमतः दक्षिणवासियों को हिन्दी भाषा सीखने, लिखने और बोलने का प्रशिक्षण देना, उस की समुचित जानकारी प्राप्त करके विभिन्न भाषा–भाषी लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना, राष्ट्रीय चेतना को दृढ करना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान करना आदि रहा । इस के लिए सभा ने समय समय पर कार्यक्रम तथा योजनाएँ बनाकर उन्हें कार्यान्वित किया और दक्षिण में हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक भूमिका निभाई। सभा ने अपने समक्ष एक सूत्र वाक्य रखा "एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक ह्रदय हो भारत जननी" इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि आचार–विचार, खान–पान, बोलचाल की दृष्टि से अनेकता होने पर भी भावनात्मक आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से भारत एक रहा हैं । इस एकता को राष्ट्र–भाषा ही सुदृढ बनाये रख सकती है ।

राष्ट्र – भाषा हिन्दी के विकास के लिए सभा का पहला कदम वही था, जिसकी गाँधीजी ने इन्दौर सम्मेलन के पश्चात घोषणा की थी, 'हमें' राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए सुयोग्य, निष्ठावान, निस्वार्थ व परिश्रमी नवयुवक चाहिए, जिन्हें प्रशिक्षित करके प्रचार के कार्य में लगा देंगे। इसके लिए पहले दक्षिण के कुछ नवयुवक चुने गये और उन्हें हिन्दी में शिक्षण और प्रशिक्षण लेने प्रयाग भेजे गये। इसी समय उत्तर भारत के कुछ देशभक्त नवयुवक दक्षिण आये और 'सभा' द्वारा दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी का प्रचार करने के लिए भेजे गये । ये प्रचारक आम जनता में हिन्दी प्रचार करने के साथ राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी करने में लग गये, ये सभी प्रचारक एक प्रकार से राष्ट्रीयता के सन्देशवाहक थे।

धीरे–धीरे प्रचारकों की आवश्यकता और मांग बढ़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दक्षिण में ही विशारद, प्रवीण और प्रचारक विद्यालय संचालित किये गये। इन विद्यालयों में शिक्षण और प्रशिक्षण पाकर अनेक नवयुवक हिन्दी प्रचार क्षेत्र में आये। ऐसे विद्यालय आज भी कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में दक्षिण के चारों प्रांतों के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर, एकत्रित रहकर अध्ययन करने से हिन्दी आपसी व्यवहार का माध्यम बन जाती है और छात्र–छात्राओं को अपना हिन्दी–ज्ञान बढ़ाने का अवसर स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। ये विद्यालय हिन्दी के विकास के लिए सहायक रहे और आज भी हैं।

इस दौरान स्कूलों में हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था हुई तो वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता पडी । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभा ने प्रशिक्षण विद्यालय चलाया, जिसमें प्रशिक्षित होकर सैंकड़ों शिक्षक स्कूलों में काम करने लगे। इस प्रकार की व्यवस्था हिन्दी प्रचार के विकास में बहुत सहायक रही।

अब सभा पुस्तक प्रकाशन की ओर विशेष ध्यान देने लगी। 'सभा' की परीक्षाओं के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के साथ साथ स्कूलों के लिए भी 'सभा' पुस्तकें तैयार कर प्रकाशित करने लगी। इस के अतिरिक्त सभा का प्रकाशन विभाग दक्षिणी संस्कृति और साहित्य पर मौलिक ग्रंथ तथा दक्षिणी भाषाओं में लिखित कहानियों का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित करने लगा। हिन्दी माध्यम से जो दक्षिण की भाषाएँ सीखना चाहते थे, उनकी सुविधा के लिए स्वयं शिक्षक और अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा के माध्यम से हिन्दी सीखने वालों के लिए स्वबोधिनियाँ भी तैयार की गयीं । हिन्दी प्रादेशिक भाषाएँ प्रदेशिक–भाषा हिन्दी कोष का निर्माण सभा का उल्लेखनीय कार्य है जो हिन्दी के विकास की दूसरी दशा है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

सभा की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की खास विशेषता है कि सभा ने परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रादेशिक भाषाओं को भी स्थान दिया है। प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में प्रादेशिक भाषा से हिन्दी में और हिन्दी से प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के प्रश्न होते हैं। उच्च परीक्षाओं में तो प्रादेशिक भाषाओं के अलग प्रश्न पत्र ही है।

इससे स्पष्ट है कि प्रादेशिक भाषा की जानकारी हिन्दी सीखने वालों के लिए आवश्यक इस व्यवस्था से उच्च परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवालों को प्रादेशिक भाषा और हिन्दी के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। साहित्यिक समन्वय की दृष्टि से 'सभा' की यह योजना दोनों भाषाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।

'सभा' द्वारा दो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। एक है, 'हिन्दी प्रचार समाचार,' जो प्रचार समाचार में, सामान्य मासिक है। दूसरी है "दक्षिण भारत" जो त्रैमासिक है। विषय पर दो तीन लेख प्रकाशित होते हैं, परंतु अधिकतर 'सभा' की कार्यालय संबंधी समारोह का समाचार छपता है। "दक्षिण सूचनाएँ, परीक्षोपयोगी लेख तथा सभा भारत" में दक्षिणी भाषाओं के साहित्य और संस्कृति संबंधी गंभीर एवं आलोचनात्मक भाषी कवियों तथा लेखकों को लेख प्रकाशित होते हैं। इससे दक्षिण के अहिन्दी प्रोत्साहन मिलता है। हिन्दी जगत को दक्षिणी साहित्य एवं संस्कृति संबंधी जानकारी यह प्रकाशन मिलती है। राष्ट्रीय साहित्य–भण्डार को भरने का विषय भी मिलता है । विभाग की हिन्दी–विकास के लिए विशिष्ट देन है।

'सभा' के कार्यकलापों में हिन्दी प्रचार व प्रचारक सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, सेमिनार, कवि सम्मेलन, पदवीदान समारोह आदि का संचालन मुख्य है। इन कार्यक्रम में प्रचारकों के अलावा स्थानीय हिन्दी प्रेमी, नेतागण, जनता, प्रादेशीक भाषाओं के साहित्यकार बड़े प्रेम से भाग लेते हैं। विद्वानों तथा नेताओं के भाषणों के माध्यम से यह समझाया जाता है कि देश की एकता के लिए और एकता को बनाये रखने के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध एवं बंधुत्व स्थापित करने के लिए एक सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी की कितनी आवश्यकता है? सम्मेलन में भाषण देनेवाले अतिथिगण जब, हिन्दी के विकास में सभा ने जो सेवा की है उसकी प्रशंसा करते हैं, तब 'सभा' के कार्यकर्ताओं और केन्द्रों में प्रचार कार्य में लगे प्रचारकों को प्ररेणा मिलती है और वे दुगुने उत्साह से हिन्दी सेवा में लग जाते हैं। संगोष्ठियों और सेमिनारों में प्रचारकों को अपनी प्रतिभाएँ प्रकट करने का अवसर मिलता हैं। वार्षिक पदवीदान समारोह में हजारों की संख्या में स्नातक –स्नातिकाएँ उपाधि लेने के लिए उपस्थित रहते हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि 'सभा' ने हिन्दी के विकास के लिए कितना काम किया है।

'सभा' ने अभी तक तीन जयन्तियाँ मना चुकी है, रजत जयन्ती, स्वर्ण जयन्ती और हीरक जयन्ती। अब शतमानोत्सव वर्ष चल रहा है, और यह कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। गत 17 जून 2018 को इसका शुभारंभ हो चुहा है, जिसमें डाक विभाग द्वारा शतमानोत्सव के उपलक्ष्य में गांधीजी के प्रतीक एवं सभा के नाम से एक डाक टिकट भी निकाला है, पिछले 21 सिंतबर 2018 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से शतमानोत्सव समारोह का उद्घाटन किया गया है। हर महीने देश के जाने माने हिन्दी के प्रबुद्ध विद्वानों द्वारा व्याख्यान माला संचालित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दिनांक 21 जनवरी 2019 को मद्रास स्थित सभा के अहाते में एक गाँधी जी का विशालकाय काँच के मूर्ति का महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों से अनावरण किया गया। 17 जून 2019 तक इस तरह के अनेक कार्यक्रम जारी रहेगा । इसीबीच पिछले 15 से 17 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान का मूल्यांकन किया गया और सभा को सम्मानजनक श्रेणी प्राप्त हुई सचमूच सभा के लिए यह वर्ष ऐतिहासिक है।

बनाकर सफल व संपन्न करने के कारण केन्द्र सरकार ने सभा की सेवाओं से संतुष्ट होकर, संसद के अधिनियम के तहत सभा को 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित किया है और इसे हिन्दी में स्नातकोत्तर परीक्षाएँ चलाने की अनुमति दी। इस से सभा का कार्य – विस्तार हुआ और हिन्दी का विकास व्यापक बना।

आज से 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्म गाँधी की प्रेरणा से स्थापित यह लघु संस्था बहु आयामी योजनाओं को कार्यान्वित कर हिन्दी के विकास में योगदान देते हुए एक बृहत् मंजुल, अखिल भारतीय भावना का प्रचार करनेवाली स्वयंसेवी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विकास कार्य में लगी अन्य संस्थाएँ इस संस्था को तीर्थ स्थान समझती है और दक्षिण की यात्रा पर आते समय इस संस्था का संदर्शन किये बिना नहीं जाते।

सांस्कृतिक भाषा ही किसी देश की संपर्क भाषा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और वर्तमान संदर्भ में हिन्दी ने इसके पर्याप्त गुण अर्जित कर लिए हैं। निश्चय ही हिन्दी भाषा की यह समाहार शक्ति हमारे देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।

*****